उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

एविक्शन (Eviction) रिवीजन वाद संख्या– 95 / 2023

राजेन्द्र प्रसाद बनाम् सावित्री देवी वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
03/11/23	अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी राजेन्द्र प्रसाद, पिता– स्व० कालीचरण पोद्दार, निवास ग्राम–कुन्दरिया बाँध, नियर के०जी०टी० स्कूल कुजू, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ द्वारा भवन नियंत्रक–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ में दायर भवन किराया एवं बेदखली (Eviction Suit) वाद संख्या–12 / 2022 सावित्री देवी वगै० बनाम राजेन्द्र प्रसाद में दिनांक–23.08.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S- 37 of Jharkhand Building (Lease Rent & Eviction) Control Act-2011 के तहत् रिवीजन दायर किया गया है। जिसे प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई की गई।	

सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि एविक्शन (Eviction) रिवीजन वाद की सुनवाई करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। साथ ही साथ जिस भवन किराया एवं बेदखली (Eviction Suit) वाद संख्या–12 / 2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में रिवीजन दायर किया गया है। उक्त वाद में भवन नियंत्रक–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिए वाद को Admit किया जाना विधिवत् नहीं प्रतीत होता है।

विज्ञ अधिवक्ता एव सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामला इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है एवं निम्न न्यायालय के द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा दायर किये गये आवेदन को प्रविष्टि के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है।

संचित करें।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2023.11.16 17:43:28 +05:30
Location: 192.168.194.197

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 03/11/23

उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 03/11/23

उपायुक्त,
रामगढ़।